

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(20)एमई / ग्रुप-1 / 2018

जयपुर, दिनांक : 18/5/18

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.4.2018 के द्वारा चिकित्सक शिक्षकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया था तथा उक्त आदेश के क्रम में समसंख्यक आदेश दिनांक 30.4.2018 के द्वारा चिकित्सक शिक्षक के नियमानुसार देय टी.ए./डी.ए. के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई थी।

समसंख्यक आदेश दिनांक 30.4.2018 को अधिक्रमित करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि समसंख्यक आदेश दिनांक 23.4.2018 के द्वारा स्थानान्तरित/पदस्थापित चिकित्सक शिक्षकों में क्रम संख्या-2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 63, 65, 67, 69, 71, 74 और 77 पर अंकित चिकित्सक शिक्षकों का स्थानान्तरण राजकीय हित में किये जाने के कारण इन्हें नियमानुसार टी.ए./डी.ए. एवं कार्यग्रहण काल देय होगा।

उपर्युक्त के अतिरिक्त स्थानान्तरित/पदस्थापित चिकित्सक शिक्षकों का स्थानान्तरण उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र/अनुरोध पर होने के कारण उन्हें टी.ए./डी.ए. एवं कार्यग्रहण काल देय नहीं होगा।

आज्ञा से,

18/5/18

(भगवत सिंह)

उप शासन चिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर।
4. संबंधित चिकित्सक शिक्षक मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज।
5. सहायक प्रोग्रामर, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

18/5/18

(महेश व्यास)

सहायक शासन चिव